कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली
प्रेस नोट दिनांक 06.06.2026

□थाना बलुआ पुलिस व साइबर सेल चन्दौली की संयुक्त कार्रवाई, UPI के माध्यम से ₹2.76 लाख की साइबर धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
□विदेश में रह रहे खाताधारक के बैंक खाते से फर्जी UPI बनाकर ₹2,76,362.50 की धोखाधड़ी।
□थाना बलुआ पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
□अभियुक्त ने फर्जी तरीके से मोबाइल नंबर जोड़कर UPI ID एवं PIN तैयार कर की थी ठगी।
□अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि से मकान निर्माण एवं घरेलू सामान खरीदा।

घटना-
दिनांक 08.05.2026 को वादी दिनेश निषाद पुत्र राजकुमार निषाद ग्राम पुरवाँ नादी, पोस्ट नादी निधौरा थाना बलुआ जनपद चन्दौली द्वारा तहरीर दिया गया कि मेरा खाता Union Bank of India शाखा रामगढ़ में है। मैं दिनांक 13/09/2021 को दुबई चला गया था। दिनांक 18/04/2026 को दुबई से वापस इण्डिया में आया। जब मैं दुबई से वापस आया था तो K.Y.C UP Date करने के लिए बैंक में गया तो पता चला कि इस नम्बर से 731831XXXX जोड़ कर बैंक द्वारा UPI बनाकर मेरे अनुपस्थिति में बैंक द्वारा में Account से अज्ञात व्यक्ति का मोबाइल जोड़कर इस नम्बर से UPI बनाकर भिन्न-2 तिथियों में कुल 276362.50 रूपये निकाल लिया गया है। जबकि मेरे द्वारा UPI बनाने के लिए A.T.M उपलब्ध नही करवाया गया है।
वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष बलुआ अरूण प्रताप सिंह व साइबर सेल प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग के कुशल नेतृत्व में निरीक्षक सलिल स्वरूप आदर्श अतिरिक्त निरीक्षक धानापुर जनपद चन्दौली मय टीम मु0अ0सं0 126/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66D आईटी ऐक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त

विशाल पटेल पुत्र राकेश पटेल निवासी ग्राम रायपुरकला थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 24 वर्ष को उक्त धोखाधड़ी से सम्बन्धित अभियुक्त को सकलडीहा जाने वाले टैक्सी स्टैण्ड के पास थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैंने एक सिम नवम्बर 2025 में जिसका मोबाइल नम्बर 731831xxxx है अपने नाम से लिया था उक्त मोबाइल से कूटरचित ढंग से फोन पे UPI ID- तैयार किया व कूटरचित ढंग से पिन भी बनाया तत्पश्चात ट्रायल के रूप में अपने एकाउन्ट में एक रुपया जमा किया जिससे उस एकाउन्ट में 1 रूपये की वृद्धि हुई पुनः रीचेक के लिये अपना खाता बताकर एक दूसरे व्यक्ति से पुनः 1 रुपये डलवाया जो सफल रहा । जब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा फोन-पे काम कर रहा है तो उस फोन से अपने खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व खाता संख्या यूको बैंक के खाते में मैंने लगभग 30 हजार रुपये डालकर निकाल लिया पुनः सतर्कता के दृष्टिकोण से अपने जानने वाले अकबर खान CSC वाले, शंकर लाल, अंकित पटेल, आशीष कुमार के खाते में बहाना बनाकर पैसा डालकर निकाल लेता था। मैंने लगभग 2,62,000 रुपये निकाला था जिससे मैंने अपना मकान बनवा लिया व जरुरत का सामान खरीद लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विशाल पटेल पुत्र राकेश पटेल निवासी ग्राम रायपुरकला थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 24 वर्ष